www.cbi.gov.in

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
(सूचना अनुभाग)
5-बी, सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स, लोधी रोड,
नई दिल्ली-110003

प्रेस विज्ञप्ति
नई दिल्ली, 10.02.2017

सीबीआई ने 6.5 करोड़ रू. (लगभग) को बदलने में आर.बी.आई. के मानदण्डों के कथित उल्लंघन के सन्दर्भ में बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य प्रबन्धक एवं प्राइवेट व्यक्ति के विरूद्ध मामला दर्ज किया

सीबीआई ने विमुद्रीकरण की अवधि के दौरान कालेधन को सफेद करने के आरोप पर बैंक ऑफ बड़ौदा, मण्डोली शाखा, दिल्ली के मुख्य प्रबन्धक ; अशोक नगर, मण्डोली रोड, दिल्ली निवासी प्राइवेट व्यक्ति एवं अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरूद्ध मामला दर्ज किया।

ऐसा भी आरोप था कि आरोपियों ने उक्त बैंक प्रबन्धक, जिन्होने इस तरह की हेरफेर की अनुमति देने हेतु नियमों एवं अधिनियमों का उल्लंघन किया एवं उनकी मिलीभगत से विभिन्न बैंक खातों का प्रयोग कर 6.5 करोड़ रू. (लगभग) के काले धन को सफेद धन में बदला। पूर्व में, बैंक ऑफ बड़ौदा के सर्तकता कर्मियों के साथ सीबीआई ने बैंक की मण्डोली शाखा दिल्ली में संयुक्त औचक निरीक्षण किया जिसमें कई खातों में भारी राशि जमा पायी गई। इन खातों में विमुद्रीकरण की घोषणा के पहले नगण्य राशि जमा थी जबकि विमुद्रीकरण की अवधि की समाप्ति पर, इस तरह के खातों में भारी राशि जमा थी। इस तरह के कई खाते गैर के.वाइ.सी. खाते पाये गये।

उक्त बैंक प्रबन्धक के परिसर पर तलाशी की गई जिसमें 1.60 लाख रू. (लगभग) की अधिकतर नई मुद्रा के नकद ; 6.50 लाख रू. (लगभग) के आभूषण एवं आरोपी व उनके पारिवारिक सदस्यों के नाम पर जीवन बीमा पॉलसियों में निवेश, सावधि जमाएँ एवं अन्य से सम्बन्धित दस्तावेज व लाकर बरामद हुआ।

आगे की जॉंच जारी है।

****